न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 47/2023 (2023/131)

1. शकूरन पत्नि बशीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 25.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प लसाडिया में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
352–317	1000 1000 1001	0.02 0.02 1.70	कदीम चा.1 खड्डा चाही उत्तम
	कुल किता 3	कुल रकबा 1.72 हैक्टर	

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीया के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है एवं प्रार्थीया ही काश्त कर फसल प्राप्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात के स्थाई सीमाचिन्ह नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। प्रार्थीया अपनी अराजीयात का नापचौप करवाकर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाना चाहती है जिससे भविष्य में आराजीयात की सीमा को लेकर कोई बाधा उत्पन्न नही हो। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया हे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दौराने कैम्प उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी को सुना गया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रकरण में राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 352–317 में दर्ज खसरा संख्या 1000, 1000, 1001 किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प लसाडिया में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)